पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

email:- hr@ptcul.org

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाश नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249

पत्रांक : 1330 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / एच–6 दिनांक : 05.08.2026

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या–116 / 2018 में पारित आदेश एवं सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या– I/367134/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनांक 03 फरवरी, 2026 तथा शासनादेश संख्या– I/373024/XVII-C-1/2026/12(18)रिट /2018, दिनांक 20 फरवरी, 2026 एवं शासनादेश संख्या– I/409688/XVII-C-1/12(18)/2018 रिट ई–94784 / 2026 दिनांक 01 जुलाई, 2026, शासनादेश संख्या– 416803/XVII-C-1 ई–99423 / 2026 दिनांक 28 जुलाई, 2026 एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–394978/XXX(2)/2026-E 99120, दिनांक 12 मई, 2026 एवं शासनादेश संख्या–I/3999863/XXX(2)/2026-E 99120, दिनांक 29 मई, 2026 के अनुपालन में पिटकुल में दिनांक 01–01–2016 से पूर्व निरन्तर नियोजित उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्योजित कार्मिकों को **संलग्न सूची** के अनुसार वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं देय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. यह स्वीकृति उपरोक्तानुसार उल्लिखित शासनादेशों में दी गयी विभिन्न सेवा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत की जा रही है, जो समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं अनुबन्ध के अधीन रहेगी।
2. उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में कार्मिकों को वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं देय मंहगाई भत्ता सहित **(ई0पी0एफ0 की राशि नियोक्ता अंशदान + कार्मिक का अंशदान को शामिल करते हुये)** कुल धनराशि का भुगतान किया जायेगा। (यदि किसी कार्मिक की ग्रेच्यूटी आदि की देयता बनती है, तो वह कुल मानदेय में सम्मिलित मानी जायेगी) इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 394978 / XXX(2)/2026-E99120 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–02, देहरादून, दिनांक 12–05–2026 के द्वारा समस्त कार्मिकों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तो का प्रारुप संलग्न किया जा रहा है।
4. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या I/409688/XVII-C-I/12(18)/2018 रिट ई–94784 / 2026 दिनांक 01 जुलाई, 2026 के अनुपालन में अर्ह उपनल कार्मिकों को वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं देय मंहगाई भत्ता का लाभ 01 मार्च, 2026 से प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त कार्मिकों के **माह अगस्त, 2026** के मानदेय का भुगतान पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के विभिन्न कार्यालयों एवं कार्मिकों के मध्य अनुबन्ध के अनुसार से किया जायेगा।
5. माह मार्च, 2026 से माह जुलाई, 2026 तक की अवधि का एरियर का भुगतान समान किस्तों में अनुवर्ती माह क्रमशः अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2026 के मानदेय के साथ पृथक से प्रदत्त किया जायेगा।
6. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्मिकों का वेतन एवं ई0पी0एफ0 निस्तारण का कार्य एफ0ए0एस0 (FAS) के माध्यम से कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
7. समस्त अनुबन्धित कार्मिकों की बायोमैट्रिक उपस्थित (Biometric Attendance) लिया जाना कारपोरेशन हित में आवश्यक होगा। इस हेतु नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह अपने कार्यालयों में (मुख्यालय को छोडकर) उपस्थिति पंजिका संग्रहित करेगें एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति से सम्बन्धित उपस्थिति का भी रखरखाव सुनिश्चित करेगें।

क्रमशः.....(2)

8. यदि कोई कार्मिक वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं देय मंहगाई भत्ता दिये जाने हेतु पद के अनुरुप शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के आधार पर निर्धारित पद पर कार्य करने का इच्छुक नही है तो कार्मिक के पास विकल्प होगा कि वह पूर्व की भॉति उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर ही कार्य करें।

9. समस्त उपनल कार्मिकों द्वारा रु0 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सम्बन्धित इकाईयों के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी तथा मुख्यालय में अधिशासी अभियन्ता (मु0भु0इ0) द्वारा अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी।

10. कार्मिकों से किये जाने वाले अनुबन्ध की अवधि 01 वर्ष होगी।

11. उपनल कार्मिकों की **संलग्न** सूची, क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित सूचना के आधार पर जॉच कर तैयार की गयी है। अतः सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा की वह उपनल कार्मिकों के साथ अनुबन्ध करने से पूर्व एक बार अपने स्तर से भी भली–भांति जॉच/प्रमाणित करना सुनिश्चित करेंगे।

12. उक्त कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन करने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किये जा रहे हैं कि भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य/विवरण जैसे कि मा0 न्यायालय में अभियोजन, पुलिस जॉच/चरित्र सत्यापन, दस्तावेजों के सत्यापन इत्यादि के संज्ञान में आने पर प्रश्नगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

13. यह है कि कार्मिकों को वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं देय मंहगाई भत्ता दिये जाने की स्थिति में विभागीय आवासों में रह रहे कार्मिकों के वेतन से न्यूनतम आवास किराया धनराशि निर्धारित कर कटौती किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद/अनुरक्षण)/सचिव, आवास आंवटन समिति द्वारा अलग से दरें निर्धारित किये जाने हेतु कमेटी का गठन कर कार्यवाही की जायेगी।

"उक्त आदेश निदेशक मण्डल द्वारा Circular Resolution No. 1 of 2026 दिनांक 05–08–2026 के द्वारा प्रदत्त की गयी सैद्धान्तिक अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे है।"

संलग्नकः **(i) कार्मिकों की पदवार सूची।**
(ii) अनुबन्ध पत्र का प्रारूप।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–6 तद्दिनाक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री आपरेटर–निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(वित्त)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
7. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0–II), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की पिटकुल की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. कट फाईल।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)